मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–1704/2024

गगनदीप पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

राजेश कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :–21.06.2024

वादीगण की ओर से श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जीतासिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.06.2024 को संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 राजेश कुमार के नाम से चक नम्बर 654 आर.डी. के के खाता संख्या 14/10 में कुल 1.758 हैक्टर तथा चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.बी. के खाता संख्या 9/75 में कुल 3.706 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी राजेश कुमार का 759/3706 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 654 आर.डी. के के खाता संख्या 14/10 एवं चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.बी. के खाता संख्या 9/75 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:51:26 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी